संख्या-5/2024/77-1002(002)/1/2022/001-27

प्रेषक,

अनीता चौधरी,
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग, उ0प्र0, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 07/02/2024

विषयः- इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप) लखनऊ हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 मे व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ के पत्र संख्या- इटप/प्रशा0/2023-24/363, दिनांक 08.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में गैर वेतन मद में प्राविधानित धनराशि रू0-6,51,48,000.00 (रूपया छः करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से अनुमन्य अग्रिम किश्त की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में प्राविधानित धनराशि रू0-6,51,48,000.00 (रूपया छः करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से शासनादेश संख्या- 9/2023/77-1-2022-02बजट-15/001-787 दिनांक 03.05.2023 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू0-1,00,00,000.00 (रूपया एक करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। सम्प्रति धनराशि रू0-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) अवशेष है। अतएव वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में जारी निर्देशो के अनुसरण में इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में मद संख्या- 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में उक्त अवशेष धनराशि रू0-5,51,48,000.00 (रूपया पांच करोड़ इक्यावन लाख अड़तालीस हजार मात्र) में से धनराशि रू0-1,10,00,000.00 (रूपया एक करोड़ दस लाख मात्र) आपके निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित नियम, शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>

1. उपर्युक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन के उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य संगत शासनादेशों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और स्वीकृत धनराशि की सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण तात्कालिक आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है तथा उसकी समस्त औपचारिकताओं को नियमानुसार पूर्ण किये जाने का दायित्व संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ का होगा।
3. धनराशि को आहरित करने हेतु नियमानुसार महाप्रबन्धक, इटप, लखनऊ द्वारा बिल बनाया जायेगा और संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।
4. संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ द्वारा धनराशि से सम्बन्धित आंकड़ो की शुद्धता सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5. किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ उत्तरदायी होंगें तथा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र ससमय उपलब्ध करायेंगें।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,10,00,000 (रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 007 **लेखा शीर्षक** 2885608001800 इन्स्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग, उत्तर प्रदेश (इटप) **मानक मद** 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या-E-6-227-X-2023-24, दिनांक 03.02.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(अनीता चौधरी)
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

संख्या-5/2024/77-1002(002)/1/2022/001-27, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, अर्थ अनुभाग, उ0प्र0, कानपुर।
3- कोषाधिकारी, लखनऊ।
4- संयुक्त निदेशक, उद्योग, मध्य क्षेत्र, लखनऊ।
5- महाप्रबन्धक, इंस्टीट्यूट आफ टूल रूम ट्रेनिंग यू0पी0 (इटप), लखनऊ को इस अभियुक्ति के साथ प्रेषित कि उक्त आहरित धनराशि का उपयोग करने के पश्चात औद्योगिक विकास अनु0-1 को नियमानुसार उपयोगिता प्रमाण पत्र अतिशीघ्र उपलब्ध करायेंगे।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2/4/6, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
8- नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
9- औद्योगिक विकास अनुभाग-2
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनीता चौधरी)
अनुसचिव,
उ0प्र0 शासन।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।